रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2014/माघ 29, 1935
No. 70] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2014/MAGHA 29, 1935

कार्मिकलोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ,
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
अधिसूचना
नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2014

सानि.का.. 96 (अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करके राष्ट्रपतिमावलीनिय (छुट्टी) केन्द्रीय सिविल सेवाएं ,, 1972 में और संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं ,**अर्थात्** :—

1. (1)इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवाएं चतुर्थ संशोधन नियमावली (छुट्टी), 2013 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

.2केन्द्रीय सिविल सेवाएं नियमावली (छुट्टी), 1972 के नियम 53, उप,में (4) नियम-

)कपै (रा 4 के **पश्चात** फार्म 7 और 8 में क्रमशः निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा ,**अर्थात्** :—

"अब उपर्युक्त लिखित बाध्यता की शर्त है कि मेरे बांड की अवधि उपर्युक्त उल्लिखित अवधि के लिए सेवा में अधिदेश के द्वारा मेरे द्वारा ली गई अध्ययन छुट्टी की समाप्ति के उपरांत मुद्रा बांड की अवधि के दौरान मेरे द्वारा ली गई किसी भी प्रकार की छुट्टी की कुल अवधि के समतुल्यतुलनीय अवधि के द्वारा विस्तारित की जाएगी। ,"

)खपैरा (5 के **पश्चात्** फार्म 9 तथा 10 में क्रमशः **निम्नलिखित** पैरा **जोड़ा** जाएगा ,**अर्थात्** :—

"अब उपर्युक्त लिखित बाध्यता की शर्त है कि बांड की अवधि उपर्युक्त उल्लिखित अवधि के लिएछुट्टी लेने वाले के , रा सेवा में अधिदेश से मुद्रा बांड की उपकृत करने वाले के द्वा ,द्वारा ली गई अध्ययन छुट्टी की समाप्ति के उपरांत अवधि के दौरान उसके द्वारा ली गई किसी भी प्रकार की छुट्टी की कुल अवधि के समतुल्यतुलनीय अवधि के द्वारा , विस्तारित की जाएगी।"

[फा. सं. 13026/4/2012-स्था. (छु.)]

ममता कुंद्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :-प्रमुख नियम-भाग ,असाधारण ,राजपत्र भारत के ,**II** ,खण्ड-3, उप) खण्ड-i (में दिनांक 8 अप्रैल, 1972 के का.आ. 940 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 4 अप्रैल, 2012 को सासंख्या .नि.का. 280के द्वारा इनमें अंतिम (ई) संशोधन किया गया था ।

फॉर्म-7

[नियम 53(4) देखें]

अध्ययन अवकाश पर जाते समय किसी सरकारी सेवक, जो स्थायी कर्मचारी है, द्वारा निष्पादित किए जाने वाला बंधपत्र

मैं **एतदद्वारा** सूचित करता हूं कि मैं.....निवासी..... जिला.....वर्तमान में.....मंत्रालय/कार्यालय में.....के रूप में कार्यरत हूं, **एतदद्वारा** स्वयं की एवं अपने वारिसों, निष्पादकों और प्रशासकों की ओर से यह वचन देता हूं कि भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसके बाद 'सरकार' कहा जाएगा) को मांग पर.....रु. (.....रु. केवल) की राशि का सरकारी ऋणों पर लागू तत्कालीन सरकारी दरों पर मांग की तारीख से अब तक के ब्याज सहित या यदि भुगतान भारत से बाहर किसी अन्य देश में किया गया है तो उक्त राशि का उस देश और भारत के बीच के शासकीय विनिमय दर के अनुसार परिवर्तित मुद्रा में, सरकार द्वारा वहन किए गए अथवा किए जाने वाले वकील एवं मुवक्किल के बीच की सभी लागतों सहित एक साथ अदा करूंगा ।

चूंकि मुझे..... सरकार द्वारा अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया है।

और चूंकि, सरकार की बेहतर सुरक्षा हेतु, मैंने इस शर्त पर जैसा कि नीचे लिखा गया है इस बंधपत्र को निष्पादित करने की सहमति दी है :

अब, उपर्युक्तलिखित बाध्यताओं की शर्तें यह हैं कि, मेरे द्वारा कार्यभार न संभालने अथवा सेवा से त्यागपत्र देने या सेवानिवृत्त होने अथवा अन्यथा अध्ययन अवकाश की अवधि के पूर्ण हो जाने या समाप्त किए जाने के **पश्चात्** ड्यूटी पर वापस न आते हुए सेवा छोड़ने अथवा अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा न करने की स्थिति में अथवा ड्यूटी पर मेरे वापस आने के बाद तीन वर्षों/पांच वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी समय, मैं सरकार को अथवा सरकार द्वारा निदेशित किए अनुसार, उक्त रु.....(.....रु. केवल) की राशि की मांग पर सरकारी ऋणों पर लागू तत्कालीन सरकारी दरों पर मांग की तारीख से ब्याज सहित का तत्काल भुगतान करुंगा ।

अब, इसकी उपर्युक्तलिखित बाध्यताओं के लिए पुन: यह शर्त है कि ऊपर निर्दिष्ट अवधि के लिए सेवा में बाध्यकारी रूप से लाने की मेरे बंधपत्र की अवधि को मेरे द्वारा लिए गए अध्ययन अवकाश की समाप्ति के बाद बंधपत्र की अवधि के दौरान मेरे द्वारा ली गई किसी भी प्रकार की छुट्टी की कुल अवधि के समान तुलनात्मक अवधि के लिए विस्तार प्रदान किया जाएगा ।

और मेरे द्वारा इस राशि का भुगतान किए जाने पर उपर्युक्तलिखित बाध्यता समाप्त और निष्प्रभावी हो जाएगी, अन्यथा यह पूरी तरह से लागू एवं प्रभावी रहेगी ।

यह बंधपत्र सभी प्रकार से भारत के तत्कालीन प्रभावी नियमों द्वारा शासित होगा और इसके अधीन सभी अधिकार एवं बाध्यताएं, जहां भी अपेक्षित हों, भारत में उचित न्यायालयों द्वारा तदनुसार निर्धारित की जाएंगी ।

दो हजार.....के..... के.....दिन को

.....

द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

.....की उपस्थिति में

गवाह : 1.....

2.....

स्वीकृत

भारत के राष्ट्रपति के लिए

और की तरफ से

स्पष्टीकरण: 'करेन्सी ऑफ बांड' शब्द का आशय है उस अवधि के दौरान जिसमें सरकारी सेवक की बाध्यताएं सक्रिय की गई थी और अपनी बाध्यता का निष्पादन करने में असफल होने वाले सरकारी सेवक से पूर्व निर्धारित राशि का दावा करने का सरकार का अधिकार प्रभावी है ।

फॉर्म-8

[नियम 53(4) देखें]

अध्ययन अवकाश का विस्तार प्रदान करते समय किसी सरकारी सेवक, जो स्थायी कर्मचारी है, द्वारा निष्पादित किए जाने वाला बंधपत्र

मैं **एतदद्वारा** सूचित करता हूं कि मैं.....निवासी..... जिला.....वर्तमान में.....मंत्रालय/कार्यालय में.....के रूप में कार्यरत हूँ, **एतदद्वारा** स्वयं की एवं अपने वारिसों, निष्पादकों और प्रशासकों की ओर से यह वचन देता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसके बाद 'सरकार' कहा जाएगा) को मांग पर.....रु. (.....रु. केवल) की राशि का सरकारी ऋणों पर लागू तत्कालीन सरकारी दरों पर मांग की तारीख से अब तक के ब्याज सहित या यदि भुगतान भारत से बाहर किसी अन्य देश में किया गया है तो उक्त राशि का उस देश और भारत के बीच के शासकीय विनिमय दर के अनुसार परिवर्तित मुद्रा में, सरकार द्वारा वहन किए गए अथवा किए जाने वाले वकील एवं मुवक्किल के बीच की सभी लागतों सहित एक साथ अदा करूंगा ।

चूंकि मुझे..... सरकार द्वारा यह ध्यान में रखते हुए कि, मेरे द्वारा भारत के राष्ट्रपति के प्रति दिनांक.....का रु.....(.....रु. केवल) का बंधपत्र निष्पादित किया गया है, ...से.....तक अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया था।

और चूंकि, मुझे मेरे अनुरोध पर.....तक के लिए अध्ययन अवकाश का विस्तार प्रदान किया गया है।

और चूंकि, सरकार की बेहतर सुरक्षा हेतु, मैंने इस शर्त पर जैसा कि नीचे लिखा गया है इस बंधपत्र को निष्पादित करने की सहमति दी है :

अब, उपर्युक्तलिखित बाध्यताओं की शर्तें यह हैं कि, मेरे द्वारा कार्यभार न संभालने अथवा सेवा से त्यागपत्र देने या सेवानिवृत्त होने अथवा अन्यथा अध्ययन अवकाश की अवधि के पूर्ण हो जाने या समाप्त किए जाने के पश्चात ड्यूटी पर वापस न आते हुए सेवा छोड़ने अथवा अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा न करने की स्थिति में अथवा ड्यूटी पर मेरे वापस आने के बाद तीन वर्षों/पांच वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी समय, मैं सरकार को अथवा सरकार द्वारा निदेशित किए अनुसार, उक्त रु.....(.....रु. केवल) की राशि की मांग पर सरकारी ऋणों पर लागू तत्कालीन सरकारी दरों पर मांग की तारीख से ब्याज सहित का तत्काल भुगतान करुंगा।

अब, इसकी उपर्युक्तलिखित बाध्यताओं के लिए पुन: यह शर्त है कि ऊपर निर्दिष्ट अवधि के लिए सेवा में बाध्यकारी रूप से लाने की मेरे बंधपत्र की अवधि को मेरे द्वारा लिए गए अध्ययन अवकाश की समाप्ति के बाद बंधपत्र की अवधि के दौरान मेरे द्वारा ली गई किसी भी प्रकार की छुट्टी की कुल अवधि के समान तुलनात्मक अवधि के लिए विस्तार प्रदान किया जाएगा।

और मेरे द्वारा इस राशि का भुगतान किए जाने पर उपर्युक्त बाध्यता समाप्त और निष्प्रभावी हो जाएगी, अन्यथा यह पूरी तरह से लागू एवं प्रभावी रहेगी।

यह बंधपत्र सभी प्रकार से भारत के तत्कालीन प्रभावी नियमों द्वारा शासित होगा और इसके अधीन सभी अधिकार एवं बाध्यताएं, जहां भी अपेक्षित हो, भारत में उचित न्यायालयों द्वारा तदनुसार निर्धारित की जाएंगी।

दो हजार.....के.....के.....दिन को

.....

द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

.....की उपस्थिति में

गवाह : 1.....

2.....

कृत

भारत के राष्ट्रपति के लिए

और की तरफ से

स्पष्टीकरण: 'करेन्सी ऑफ बांड' शब्द का आशय है उस अवधि के दौरान जिसमें सरकारी सेवक की बाध्यताएं सक्रिय की गई थी और अपनी बाध्यता का निष्पादन करने में असफल होने वाले सरकारी सेवक से पूर्व निर्धारित राशि का दावा करने का सरकार का अधिकार प्रभावी है।

फॉर्म-9

[नियम 53(4) देखें]

अध्ययन अवकाश पर जाते समय किसी सरकारी सेवक, जो स्थायी कर्मचारी नहीं है, द्वारा निष्पादित किए जाने वाला बंधपत्र

मैं/हम **एतदद्वारा** सूचित करते हैं कि हम.....निवासी..... जिला.....वर्तमान में.....मंत्रालय/कार्यालय में.....के रूप में कार्यरत (जिन्हें इसके बाद "बाध्यताधारी" कहा जाएगा) और श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री.....और श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री.....और श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री.....(जिन्हें इसके बाद "जमानती" कहा जाएगा) **एतदद्वारा** अपनी/हमारी ओर से एवं मेरे/हमारे वारिसों, विधिक प्रतिनिधियों, निष्पादकों और प्रशासकों की ओर से संयुक्त रूप से और

पृथक रूप से यह वचन देता हूं/देते हैं कि भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसके बाद 'सरकार' कहा जाएगा) को मांग पर.....रु. (.....रु. केवल) की राशि का सरकारी ऋणों पर लागू तत्कालीन सरकारी दरों पर मांग की तारीख से अब तक के ब्याज सहित या यदि भुगतान भारत से बाहर किसी अन्य देश में किया गया है तो उक्त राशि का उस देश और भारत के बीच के शासकीय विनिमय दर के अनुसार परिवर्तित मुद्रा में, सरकार द्वारा वहन किए गए अथवा किए जाने वाले वकील एवं मुवक्किल के बीच की सभी लागतों सहित एक साथ अदा करूंगा/करेंगे ।

सरकार द्वारा बाध्यताधारी को अध्ययन अवकाश प्रदान किए जाने की अवस्था में :

और जबकि सरकार की बेहतर सुरक्षा हेतु, बाध्यताधारी ने इस शर्त पर जैसा कि नीचे लिखा गया है इस बंधपत्र को निष्पादित करने की सहमति दी है :

जबकि उक्त जमानतियों द्वारा उपर्युक्त बाध्यताकारियों..... की ओर से जमानतियों के रूप में इस बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने की सहमति दी है ।

अब, उपर्युक्त लिखित बाध्यताओं की शर्तें यह है कि, बाध्यताधारी श्री/श्रीमती/कुमारी..... द्वारा कार्यभार न संभालने अथवा सेवा से त्यागपत्र देने या कार्यअवधि पूर्ण होने के पश्चात् ड्यूटी पर वापस न आते हुए सेवा छोड़ने या अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा न करने की स्थिति में या उसके ड्यूटी पर वापस आने के बाद तीन वर्षों/पांच वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी समय, बाध्याताधारी और जमानती सरकार को मांग पर सरकारी ऋणों पर लागू तत्कालीन सरकारी दरों पर मांग की तारीख से ब्याज सहित उक्त रु.....(.....रु. केवल) की राशि का तत्काल भुगतान करेंगे ।

इसके अलावा ऊपर लिखित बाध्यताओं के लिए पुन: शर्त है कि बंधपत्र की अवधि का, ऊपर निर्दिष्ट अवधि के लिए बाध्यताधारी की अनिवार्य सेवा अवधि के अलावा, उसके द्वारा ली गई अध्ययन छुट्टी की समाप्ति के बाद बंधपत्र की अवधि के दौरान उसके द्वारा ली गई किसी भी प्रकार की छुट्टी की कुल अवधि के समान तुलनात्मक अवधि के लिए विस्तार प्रदान किया जाएगा ।

और बाध्यताधारी श्री/श्रीमती/कुमारी.....और अथवा उपर्युक्त जमानती श्री/श्रीमती/कुमारी.....और अथवा श्री/श्रीमती/कुमारी.....द्वारा इस राशि का भुगतान किए जाने पर उपर्युक्त बाध्यता समाप्त और निष्प्रभावी हो जाएगी, अन्यथा यह पूरी तरह से लागू एवं प्रभावी रहेगी ।

सर्वदा बशर्ते कि इसके अधीन जमानतियों की देयताएं, समयावधि प्रदान करने या किसी अन्य सहिष्णुता द्वारा या सरकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति (चाहे जमानतियों की सहमति या ज्ञान से हो या अन्यथा) द्वारा छोड़ देने के कारण क्षीण या निष्पादित नहीं होगी, यह भी आवश्यक नहीं होगा कि जमानतियों श्री/श्रीमती/कुमारी..... और श्री/श्रीमती/कुमारी.....या उनमें से किसी एक पर इसके अधीन राशि हेतु अभियोग चलाने से पहले बाध्यताधारी पर अभियोग चलाया जाए ।

यह बंधपत्र सभी प्रकार से भारत के तत्कालीन प्रभावी नियमों द्वारा शासित होगा और इसके अधीन सभी अधिकार एवं बाध्यताएं, जहां भी अपेक्षित हो, भारत में उचित न्यायालयों द्वारा तदनुसार निर्धारित की जाएंगी ।

दो हजार.....के.....के.....दिन को

उपर्युक्त श्री/श्रीमती/कुमारी.....

द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

.....की उपस्थिति में

गवाह : 1.....

2.....

उपर्युक्त श्री/श्रीमती/कुमारी.....

द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

.....की उपस्थिति में

गवाह : 1.....

2.....

उपर्युक्त श्री/श्रीमती/कुमारी.....

द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

.....की उपस्थिति में

गवाह : 1.....

2.....

स्वीकृत

भारत के राष्ट्रपति के लिए

और की तरफ से

स्पष्टीकरण: 'करेन्सी ऑफ बंधपत्र' शब्द का आशय है उस अवधि के दौरान जिसमें सरकारी सेवक की बाध्यताएं सक्रिय की गई थी और अपनी बाध्यता का निष्पादन करने में असफल होने वाले सरकारी सेवक से पूर्व निर्धारित राशि का दावा करने का सरकार का अधिकार प्रभावी है ।

फॉर्म-10

[नियम 53(4) देखें]

अध्ययन अवकाश का विस्तार प्रदान करते समय किसी सरकारी सेवक, जो स्थायी कर्मचारी नहीं है, द्वारा निष्पादित किए जाने वाला बंधपत्र

मैं/हम **एतदद्वारा** सूचित करते हैं कि हम.....निवासी..... जिला.....वर्तमान में.....मंत्रालय/कार्यालय में.....के रूप में कार्यरत (जिन्हें इसके बाद ''बाध्यताधारी'' कहा जाएगा) और श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री.....और श्री/श्रीमती/कुमार..... पुत्र/पुत्री..... (जिन्हें इसके बाद ''जमानती'' कहा जाएगा) **एतदद्वारा** अपनी/हमारी ओर से एवं मेरे/हमारे वारिसों, विधिक प्रतिनिधियों, निष्पादकों और प्रशासकों की ओर से संयुक्त रूप से और पृथक रूप से यह वचन देता हूं/देते हैं कि भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसके बाद 'सरकार' कहा जाएगा) को मांग पर.....रु. (.....रु. केवल) की राशि का सरकारी ऋणों पर लागू तत्कालीन सरकारी दरों पर मांग की तारीख से अब तक के ब्याज सहित या यदि भुगतान भारत से बाहर किसी अन्य देश में किया गया है तो उक्त राशि का उस देश और भारत के बीच के शासकीय विनिमय दर के अनुसार परिवर्तित मुद्रा में, सरकार द्वारा बहन किए गए अथवा किए जाने वाले वकील एवं मुवक्किल के बीच की सभी लागतों सहित एक साथ अदा करूंगा/करेंगे ।

सरकार द्वारा बाध्यताधारी को.....से.....तक अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया इसको ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति के प्रति दिनांक.....का रु.....(.....रु. केवल) का बंधपत्र निष्पादित किया गया ।

और जबकि बाध्यताधारी के अध्ययन अवकाश को उसके अनुरोध पर.....तक के लिए बढ़ाया गया ।

और जबकि सरकार की बेहतर सुरक्षा हेतु, बाध्यताधारी ने इस शर्त पर जैसा कि नीचे लिखा गया है इस बंधपत्र को निष्पादित करने की सहमति दी है :

जबकि उक्त जमानतियों द्वारा उपर्युक्त बाध्यताकारियों..... की ओर से जमानतियों के रूप में इस बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने की सहमति दी है ।

अब, उपर्युक्त लिखित बाध्यताओं की शर्तें यह है कि, बाध्यताधारी श्री/श्रीमती/कुमारी..... द्वारा कार्यभार न संभालने अथवा सेवा से त्यागपत्र देने या कार्यअवधि पूर्ण होने के पश्चात् ड्यूटी पर वापस न आते हुए सेवा छोड़ने या अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा न करने की स्थिति में या उसके ड्यूटी पर वापस आने के बाद तीन वर्षों/पांच वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी समय, बाध्याताधारी और जमानती सरकार को मांग पर सरकारी ऋणों पर लागू तत्कालीन सरकारी दरों पर मांग की तारीख से ब्याज सहित उक्त रु.....(.....रु. केवल) की राशि का तत्काल भुगतान करेंगे ।

इसके अलावा ऊपर लिखित बाध्यताओं के लिए पुन: शर्त है कि बंधपत्र की अवधि का, ऊपर निर्दिष्ट अवधि के लिए बाध्यताधारी की अनिवार्य सेवा अवधि के अलावा, उसके द्वारा ली गई अध्ययन छुट्टी की समाप्ति के बाद बंधपत्र की अवधि के दौरान उसके द्वारा ली गई किसी भी प्रकार की छुट्टी की कुल अवधि के समान तुलनात्मक अवधि के लिए विस्तार प्रदान किया जाएगा ।

और बाध्यताधारी श्री/श्रीमती/कुमारी.....और अथवा उपर्युक्त जमानती श्री/श्रीमती/कुमारी.....और अथवा श्री/श्रीमती/कुमारी.....द्वारा इस राशि का भुगतान किए जाने पर उपर्युक्त बाध्यता समाप्त और निष्प्रभावी हो जाएगी, अन्यथा यह पूरी तरह से लागू एवं प्रभावी रहेगी ।

सर्वदा बशर्ते कि इसके अधीन जमानतियों की देयताएं, समयावधि प्रदान करने या किसी अन्य सहिष्णुता द्वारा या सरकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति (चाहे जमानतियों की सहमति या ज्ञान से हो या अन्यथा) द्वारा छोड़ देने के कारण क्षीण या निष्पादित नहीं होगी, यह भी आवश्यक नहीं होगा कि जमानतियों श्री/श्रीमती/कुमारी..... और श्री/श्रीमती/कुमारी.....या उनमें से किसी एक पर इसके अधीन राशि हेतु अभियोग चलाने से पहले बाध्यताधारी पर अभियोग चलाया जाए ।

यह बंधपत्र सभी प्रकार से भारत के तत्कालीन प्रभावी नियमों द्वारा शासित होगा और इसके अधीन सभी अधिकार एवं बाध्यताएं, जहां भी अपेक्षित हो, भारत में उचित न्यायालयों द्वारा तदनुसार निर्धारित की जाएंगी ।

दो हजार.....के.....के.....दिन को

उपर्युक्त श्री/श्रीमती/कुमारी.....
द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द
.....की उपस्थिति में
गवाह : 1.....
2.....

उपर्युक्त श्री/श्रीमती/कुमारी.....
द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द
.....की उपस्थिति में
गवाह : 1.....
2.....

उपर्युक्त श्री/श्रीमती/कुमारी.....
द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द
.....की उपस्थिति में
गवाह : 1.....
2.....

स्वीकृत
भारत के राष्ट्रपति के लिए
और की तरफ से

स्पष्टीकरण : 'करेन्सी ऑफ बंधपत्र' शब्द का आशय है उस अवधि के दौरान जिसमें सरकारी सेवक की बाध्यताएं सक्रिय की गई थी और अपनी बाध्यता का निष्पादन करने में असफल होने वाले सरकारी सेवक से पूर्व निर्धारित राशि का दावा करने का सरकार का अधिकार प्रभावी है ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2014

G.S.R. 96 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) Fourth Amendment Rules, 2013.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, in rule 53, in sub-rule (4), -
 (a) in Forms 7 and 8, after para 4, the following para shall respectively, be inserted, namely:-

 "NOW FURTHER THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT the period of my bond mandating putting in service for the period as specified above, after expiry of the study leave availed by me, shall be extended by a comparable period, equivalent to the aggregate periods of leave of any kind availed by me during the currency of the bond period."

 (b) in Forms 9 and 10, after para 5, the following para shall respectively, be inserted, namely:-

 "NOW FURTHER THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT the period of bond, mandating putting in service by the Obligor for the period as specified above, after expiry of the study leave availed by him or her, shall be extended by a comparable period, equivalent to the aggregate periods of leave of any kind availed by him or her during the currency of the bond period."

[F. No. 13026/4/2012-Estt. (L)]

MAMTA KUNDRA, Jt. Secy.

Note :- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number S.O. 940 dated the 8th April, 1972 and were last amended vide number G.S.R. 283(E), dated the 4th April, 2012.

FORM 7
[See Rule 53 (4)]

BOND TO BE EXECUTED BY A GOVERNMENT SERVANT IN PERMANENT EMPLOY, WHEN PROCEEDING ON STUDY LEAVE

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT I, …… resident of ……. in the District of …….. at present employed as …….. in the Ministry/Office of …….. do hereby bind myself and my heirs, executors and administrators to pay to the President of India (hereinafter called "the Government") on demand the sum of Rs. …….. (Rs…….only) together with interest thereon from the date of demand at Government rates for the time being in force on Government loans or, if payment is made in a country other than India, the equivalent of the said amount in the currency of that country converted at the official rate of exchange between that country and India AND TOGETHER with all costs between attorney and client and all charges and expenses that shall or may have been incurred by the Government.

WHEREAS I ,…….. am granted study leave by Government.

AND WHEREAS for the better protection of the Government I have agreed to execute this Bond with such condition as hereunder is written:

NOW THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT in the event of my failing to resume duty, or resigning or retiring from service or otherwise quitting service without returning to duty after the expiry or termination of the period of study leave or failing to complete the course of study or at any time within a period of three years/five years after my return to duty, I shall forthwith pay to the Government or as may be directed by the Government, on demand the said sum of Rs. ……(Rupees…… only) together with interest thereon from the date of demand at Government rates for the time being in force on Government loans.

NOW FURTHER THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT the period of my bond mandating putting in service for the period as specified above, after expiry of the study leave availed by me, shall be extended by a comparable period, equivalent to the aggregate periods of leave of any kind availed by me, during the currency of the bond period.

AND upon my making such payment, the above written obligations shall be void and of no effect, otherwise it shall be and remain in full force and virtue.

The Bond shall in all respects be governed by the laws of India for the time being in force and the rights and liabilities hereunder shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate Courts of India.

Signed and dated this ……..…… day of ……. two thousand and …….

Signed and delivered by…….
…….
In the presence of ……
Witnesses: 1. ……
2. ……

ACCEPTED
for and on behalf of the
President of India

Explanation : The term 'currency of bond' means the period during which the liability of the Government servant is activated and the right of the Government is alive to claim the predetermined and stipulated amounts from the Government servant who fails to discharge his obligation.

FORM 8
[See Rule 53(4)]

BOND TO BE EXECUTED BY A GOVERNMENT SERVANT IN PERMANENT EMPLOY, WHEN GRANTED EXTENSION OF STUDY LEAVE

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT I,…… resident of …….. in the District of……. at present employed as ……. in the Ministry /Office of……. do hereby bind myself and my heirs, executors and administrators to pay to the President of India (hereinafter called "the Government") on demand the sum of Rs…… (Rupees……only) together with interest thereon from the date of demand at Government rates for the time being in force on Government loans or, if payment is made in a country other than India, the equivalent of the said amount in the currency of that country converted at the official rate of exchange between that country and India AND TOGETHER with all costs between attorney and client and all charges and expenses that shall or may have been incurred by the Government.

WHEREAS I, ……was granted study leave by Government for the period ……..to……in consideration of which I executed a Bond, dated ……., for Rs…….(Rupees…….only) in favour of the President of India.

AND WHEREAS the extension of study leave has been granted to me at my request until……

AND WHEREAS for the better protection of the Government I have agreed to execute this Bond with such conditions as hereunder are written.

NOW, THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT in the event of my failing to resume duty, or resigning or retiring from service or otherwise quitting service without returning to duty after the expiry or termination of the period of study leave so extended or failing to complete the course of study or at any time within a period of three years/five years after my return to duty, I shall forthwith pay to the Government or as may be directed by the Government, on demand the said sum of Rs…….. (Rupees……only) together with interest thereon from the date of demand at Government rates for the time being in force on Government loans.

NOW FURTHER THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT the period of my bond mandating putting in service for the period as specified above, after expiry of the study leave availed by me, shall be extended by a comparable period, equivalent to the aggregate periods of leave of any kind availed by me, during the currency of the bond period.

AND upon my making such payments, the above written obligations shall be void and of no effect, otherwise it shall be and remain in full force and virtue.

The Bond shall in all respects be governed by the laws of India for the time being in force and the rights and liabilities hereunder shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate Courts in India.

Signed and dated this…….. day of …….. …two thousand and……

Signed and delivered by……..
……..

In the presence of……..
Witnesses: 1……
2……

ACCEPTED
for and on behalf of the
President of India

Explanation: The 'currency of bond' means the period during which the liability of the Government servant is activated and right of the Government is alive to claim the predetermined and stipulated amounts from the Government servant who fails to discharge his obligation.

FORM 9

[See Rule 53(4)]

BOND TO BE EXECUTED BY A GOVERNMENT SERVANT NOT IN PERMANENT EMPLOY, WHEN PROCEEDING ON STUDY LEAVE

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT WE, …… residents of…… in the District of…….. at present employed as…….. in the Ministry/Office of…… (hereinafter called "the Obligor") and Shri/Shrimati/Kumari…….. son/daughter of ……. and Shri/Shrimati/Kumari…… son/daughter of……. of……. and Shri/Shrimati/Kumari…… son/daughter of……. of……. (hereinafter called "the Sureties") do hereby jointly and severally bind ourselves and our respective heirs, executors and administrators to pay to the President of India (hereinafter called "the Government") on demand the sum of Rs……(Rupees……only) together with interest thereon from the date of demand at Government rates for the time being in force on Government loans or, if payment is made in a country other than India, the equivalent of the said amount in the currency of that country, converted at the official rate of exchange between that country and India AND TOGETHER with all costs between attorney and client and all charges and expenses that shall or may have been incurred by the Government.

WHEREAS the Obligor is granted study leave by the Government:

AND WHEREAS for the better protection of the Government, the Obligor has agreed to execute this Bond with such condition as hereunder is written:

AND WHEREAS the said Sureties have agreed to execute this Bond as Sureties on behalf of the above bounden……

NOW THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATIONS IS THAT in the event of the Obligor Shri/Shrimati/ Kumari ……..failing to resume duty, or resigning from service or otherwise quitting service without returning to duty after the expiry or termination of the period of study leave or failing to complete the course of study or at any time within a period of three years/five years after his return to duty, the Obligor and the Sureties shall forthwith pay to the Government or as may be directed by the Government, on demand the said sum of Rs…….. (Rupees……..only) together with interest thereon from the date of demand at Government rates for the time being in force on Government loans.

NOW FURTHER THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT the period of bond, mandating putting in service by the Obligor for the period as specified above, after expiry of the study leave availed by him or her, shall be extended by a comparable period, equivalent to the aggregate periods of leave of any kind availed by him or her during the currency of the bond period.

AND upon the Obligor Shri/Shrimati/Kumari…….……and or Shri/Shrimati/ Kumari…… and, or Shri/Shrimati/ Kumari…… the Sureties aforesaid making such payment the above written obligation shall be void and of no effect, otherwise it shall be and remain in full force by virtue:

PROVIDED ALWAYS that the liability of the Sureties hereunder shall not be impaired or discharged by reason of time being granted or by any forbearance, act or omission of the Government or any person authorized by them (whether with or without the consent or knowledge of the Sureties) nor shall it be necessary, for the Government to sue the Obligor before suing the Sureties Shri/Shrimati/ Kumari…… and Shri/Shrimati/ Kumari…….or any of them for amounts due hereunder.

The Bond shall in all respects be governed by the laws of India for the time being in force and the rights and liabilities hereunder shall where necessary be accordingly determined by the appropriate Courts in India.

Signed and dated this…….day of……two thousand and ……..

Signed and delivered by the Obligor

Above named Shri/Shrimati/ Kumari

……..

In the presence of ……

Witnesses: 1…….

2…….

Signed and delivered by the Obligor

Above named Shri/Shrimati/ Kumari

……

In the presence of ……..

Witnesses: 1…….

2…….

Signed and delivered by the Obligor

Above named Shri/Shrimati/ Kumari

…….

In the presence of ……..

Witnesses : 1…….

2…….

Signed and delivered by the Obligor

Above named Shri/Shrimati/ Kumari

…….

In the presence of ……..

Witnesses : 1…….

2…….

ACCEPTED

for and on behalf of the

President of India

Explanation: The term 'currency of bond' means the period during which the liability of the Government servant is activated and the right of the Government is alive to claim the predetermined and stipulated amounts from the Government servant who fails to discharge his obligation.

FORM 10

[See Rule 53(4)]

BOND TO BE EXECUTED BY A GOVERNMENT SERVANT NOT IN PERMANENT EMPLOY, WHEN GRANTED EXTENSION OF STUDY LEAVE

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT WE, …… residents of…… in the District of…….. at present employed as…….. in the Ministry/Office of…… (hereinafter called "the Obligor") and Shri/Shrimati/Kumari……. son/daughter of ……. of……. and Shri/Shrimati/ Kumari…… son/daughter of……. of……. (hereinafter called "the Sureties") do hereby jointly and severally bind ourselves and our respective heirs, executors and administrators to pay to the President of India (hereinafter called "the Government") on demand the sum of Rs…….(Rupees……only) together with interest thereon from the date of demand at Government rates for the time being in force on Government loans or, if payment is made in a country other than India, the equivalent of the said amount in the currency of that country, converted at the official rate of exchange between that country and India AND TOGETHER with all costs between attorney and client and all charges and expenses that shall or may have been incurred by the Government.

WHEREAS the Obligor was granted study leave by the Government from the period from ……. to …… in consideration of which he executed a Bond, dated …….., for Rs……. (Rupees…….. only) in favour of the President of India:

AND WHEREAS the extension of study leave has been granted to the Obligor at his request until……..

AND WHEREAS for the better protection of the Government the Obligor has agreed to execute this Bond with such condition as hereunder is written:

AND WHEREAS the said Sureties have agreed to execute this Bond as Sureties on behalf of the above bounden…….

NOW THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT in the event of the Obligor Shri/Shrimati/Kumari ……. failing to resume duty, or resigning from service or otherwise quitting service without returning to duty after the expiry or termination of the period of study leave so extended or failing to complete the course of study or at any time within a period of three years/five years after his return to duty, the Obligor and the Sureties shall forthwith pay to the Government or as may be directed by the Government, on demand the said sum of Rs…… (Rupees …….. only) together with interest thereon from the date of demand at Government rates for the time being in force on Government loans.

NOW FURTHER THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATIONS IS THAT the period of bond, mandating putting in service by the Obligor for the period as specified above, after expiry of the study leave availed by him or her, shall be extended by a comparable period, equivalent to the aggregate periods of leave of any kind availed by him or her, during the currency of the bond period.

AND upon the Obligor Shri/Shrimati/Kumari ……. and, or Shri/Shrimati/Kumari …….. and, or Shri/Shrimati/Kumari …… the Sureties aforesaid making such payment the above written obligation shall be void and of no effect, otherwise it shall be and remain in full force and virtue:

PROVIDED ALWAYS that the liability of the Sureties hereunder shall not be impaired or discharged by reason of time being granted or by any forbearance, act or omission of the Government or any person authorized by them (whether with or without the consent or knowledge of the Sureties) nor shall it be necessary, for the Government to sue the Obligor before suing the Sureties Shri/Shrimati/Kumari …… and Shri/Shrimati/Kumari …… or any of them for amounts due hereunder.

The Bond shall in all respects be governed by the laws of India for the time being in force and the rights and liabilities hereunder shall where necessary be accordingly determined by the appropriate Courts in India.

Signed and delivered by the Obligor
above named Shri/Shrimati/Kumari
……

In the presence of ……
Witnesses: 1 ……

2……

Signed and delivered by the Obligor
above named Shri/Shrimati/Kumari
……

In the presence of ……

Witnesses: 1 ……

2……

ACCEPTED
for and on behalf of the
President of India

Explanation: The term ‘currency of bond’ means the period during which the liability of the Government servant is activated and the right of the Government is alive to claim the predetermined and stipulated amounts from the Government servant who fails to discharge his obligation.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054